

#### असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 342]	नई दिल्ली, मंगलवार, जून 04, 2019/ज्येष्ठ  14, 1941
No. 342]	NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 04, 2019/JYAISTHA 14, 1941

## गृह मंत्रालय

### आदेश

नई दिल्ली, 30 मई, 2019

सा.का.नि. 409(अ).—विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा विदेशियों विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:—

- 1. (1) यह आदेश विदेशियों विषयक (अधिकरण) संशोधन आदेश, 2019 कहा जाएगा।
  - (2) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- 2. विदेशियों विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964 में :—
  - (क) पैराग्राफ 2, के
    - (क) उप पैरा 1 में, "केंद्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या
      संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या जिला कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट" प्रतिस्थापित किया
      जाएगा;

2773 GI/2019 (1)

- (ख) उप-पैरा (1क) में "नागरिकता नियम, 1956 का नियम 16च" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर "नागरिकता नियम, 2009 का नियम 19" शब्द और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—
- (ग) उप-पैरा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अन्त:स्थापित किया जाएगा नामत:—
- "(1ख) नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रेशन और राष्ट्रीय पहचान कार्ड जारी करना) नियम, 2003 की अनुसूची के पैराग्राफ 8 में उल्लिखित कोई व्यक्ति उसमें विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों पर इस आदेश के तहत गठित किए गए नामित अधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।"
- (ख) पैराग्राफ 3क को पुन: संख्याकित करके पैराग्राफ 3ग किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्याकित पैरा 3ग के पूर्व निम्नलिखित पैराग्राफ अंत:स्थापित किए जाएंगे;

# "3 क. पैराग्राफ 2 के उप-पैरा (1ख) में उल्लिखित अपील के निपटान की प्रक्रिया.—

- (1) अपील प्रस्तुत करते समय, आवेदक अपील के आधारों के साथ राष्ट्रीय भारतीय नागरिक रजिस्टर जिसे इसके बाद एनआरसी के रूप में उल्लिखित किया जाएगा, से प्राप्त अस्वीकृति आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएगा।"
- (2) अपीलार्थी स्वयं या किसी विधि व्यवसायी या अपीलार्थी द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी रिश्तेदार के माध्यम से पेश हो सकता है, बशर्ते ऐसा अभ्यावेदन अधिकरण द्वारा स्वीकृत हो।
- (3) राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ता नियुक्त कर सकती है।
- (4) अधिकरण नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के अंदर एनआरसी रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को एक नोटिस जारी करेगा कहेगा तथा उक्त नोटिस की एक प्रति पेश होने वाले अभिवक्ता और अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी।
- (5) जिला मजिस्ट्रेट सरकारी अभिवक्ता को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन फार्म तथा दस्तावेज सहित मूल रूप में एनआरसी रिकार्ड तथा दावों के संबंध में एनआरसी प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश मूल रूप में और/या अपीलार्थी द्वारा दाखिल की गई आपतियां उपलब्ध करवाएगा।
- (6) जिला मजिस्ट्रेट भी इस प्रश्न के संबंध में कि क्या अपीलार्थी पैराग्राफ 2 के उप-पैरा (1) के अनुसार विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 (1946 का 31) के अंतर्गत विदेशियों है या नहीं, अधिकरण की राय प्राप्त करने के लिए मामला अधिकरण के पास भेजेगा। अधिकरण के पास ऐसामामला भेजने पर पैराग्राफ 2 के उप पैरा (1) के अनुसार अधिकरण को दिया गया निर्देश माना जाएगा और अधिकरण उक्त मामले तथा अपील की जांच करेगा।
- (7) ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले ही मामला किसी विदेशियों विषयक अधिकरण के पास भेजा गया हो, वे अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने के पात्र नहीं होंगे।

- (8) यदि किसी विदेशियों विषयक अधिकरण ने किसी व्यक्ति को पहले कभी किसी विदेशियों के रूप में मानने की अपनी राय दी हो तो ऐसा व्यक्ति किसी अधिकरण में अपील दायर करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- (9) जिला मजिस्ट्रेट की ओर से, अभिवक्ता अधिकरण के समक्ष एनआरसी रिकार्ड और उपर्युक्त उप-पैरा (6) में उल्लिखित मामला भी प्रस्तुत करेगा।
- (10) रिकार्ड प्रस्तुत किए जाने पर, यदि अधिकरण अपील में गुणागुण देखता है तो वह अपीलार्थी और जिला मजिस्ट्रेट को सुनवाई की तारीख निर्धारित करते हुए सुनवाई के लिए नोटिस जारी करेगा और यह तारीख ऐसे रिकार्ड प्रस्तुत करने की तारीख से 30 दिन के अंदर की होगी।
- (11) जिला मजिस्ट्रेट अधिकरण के समक्ष किसी व्यक्ति को अपनी ओर से कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनियुक्त कर सकता है।
- (12) सुनवाई के दौरान अधिकरण अपीलार्थी, सरकारी अभिवक्ता और जिला मजिस्ट्रेट के प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हो,को अपना मामला प्रस्तुत करने का तथा अपने/उनके मामले के समर्थन में कोई अभ्यावदेन करने या दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर देगा।
- (13) अपील या ऊपर उप-पैरा (6) में उल्लिखित संदर्भ का निपटान करते समय अधिकरण,इस आदेश के पैरा-3 के उप-पैरा (9), (11) और (12) के द्वारा मार्गदर्शित होगा।
- (14) अपीलार्थी, सरकारी अभिवक्ता और जिला मजिस्ट्रेट के प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हो, की सुनवाई के बाद अधिकरण अपनी स्पष्ट राय दर्ज करते हुए अपील और ऊपर उप-पैरा (6) में उल्लिखित जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त संदर्भ का निपटान करेगा।
- (15) अधिकरण के अंतिम आदेश में इस मामले पर उसकी यह राय होगी कि क्या अपीलार्थी एनआरसी में शामिल किए जाने के लिए पात्र है या नहीं है। इस आदेश में ऊपर उप-पैरा (6) में उल्लिखित जिला मजिस्ट्रेट के संदर्भ पर भी अधिकरण की राय शामिल होगी। अधिकरण का अंतिम आदेश उन तथ्यों और निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण होगा जिनके आधार पर अधिकरण ऐसी राय पर पहुंचा है।
- (16) अधिकरण की राय समाहित करते हुए इसका अंतिम आदेश, रिकार्ड प्रस्तुत करने की तारीख से एक सौ बीस दिन की अवधि के अंदर दे दिया जाएगा।
- (17) इस आदेश के उपबंध के अध्यधीन, मामलों को समयबद्ध तरीके से शीघ्र निपटाने के लिए अधिकरण के पास अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।
- 3(ख) पैराग्राफ (2) के उप-पैरा (1ख) में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं करने पर मामलों के निपटान की प्रक्रिया:-यिद नागरिकता (नागरिकों का रिजस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 की अनुसूची के पैराग्राफ 8 में उल्लिखित व्यक्ति इस आदेश के तहत गठित नामित अधिकरण के समक्ष उसमें निर्धारित 60 दिन की अवधि के अंदर कोई अपील प्रस्तुत नहीं करता है तो इस आदेश के पैराग्राफ 2 के उप-पैरा (1) में उल्लिखित प्राधिकारी इस प्रश्न के संबंध में अधिकरण की राय प्राप्त करने के लिए मामले को अधिकरण के पास भेज सकता है कि क्या उक्त व्यक्ति इस आदेश के पैराग्राफ 2 के

उप-पैरा(1) के अनुसार विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) के आशय के अंतर्गत विदेशियों है या नहीं। ऐसा संदर्भ प्राप्त होने पर अधिकरण इस आदेश के पैराग्राफ 3क में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसकी जांच करेगा।

[फा.सं. 25022/59/2018-एफ-I] अनिल मलिक, संयुक्त सचिव (विदेशियों विषयक)

नोट: मूल आदेश, 23 सितम्बर, 1964 की सं. सा.का.िन. 1401 के तहत भारत के राजपत्र भाग-।।, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और बाद में 30 सितम्बर, 1965 की अधिसूचना सं. सा.का.िन. 1535; 15 जनवरी, 1986 की अधिसूचना सं. सा.का.िन. 203 (अ); 24 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना सं. सा.का.िन. 317 (अ) तथा 10 दिसम्बर, 2013 की अधिसूचना सं. सा.का.िन. 770 (अ) के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### **ORDER**

New Delhi, the 30<sup>th</sup> May, 2019

**G.S.R. 409(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby makes the following orderfurther to amend the Foreigners (Tribunals) Order, 1964, namely:-

- 1. (1) This order may be called the Foreigners (Tribunals) Amendment Order, 2019.
  - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Foreigners (Tribunals) Order, 1964,—
  - (A) in paragraph 2,—
    - (a) in sub-para 1, for the words "the Central Government may,", the words "the Central Government or the State Government or the Union territory administration or the District Collector or the District Magistrate may," shall be substituted;
    - (b) in sub-para (1A), for the words, figures and letters "rule 16F of the Citizenship Rules, 1956", the words and figures "rule 19 of the Citizenship Rules, 2009" shall be substituted;
    - (c) after sub-para (1A), the following sub-para shall be inserted, namely:-
    - "(1B) Any person referred to in paragraph 8 of the Schedule to the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003 may prefer an appeal, on the terms and conditions specified therein, before the designated Tribunal constituted under this Order."
  - (B) Paragraph 3A shall be re-numbered as Paragraph 3C and before the Paragraph 3C as so renumbered, the following Paragraphs shall be inserted, namely:—
    - "3A. Procedure for disposal of appeal referred toin sub-para (1B) of paragraph 2.—(1) While preferring an appeal, the applicant shall provide a certified copy of the rejection order received from the National Register of Indian Citizens hereinafter referred to as NRC authorities along with the grounds for appeal.

- (2) The Appellant may appear either in person or through a legal practitioner or a relation authorised by the Appellant in writing subject to the acceptance of such representation by the Tribunal.
- (3) The State Government may appoint a pleader to represent the District Magistrate.
- (4) The Tribunal shall issue a notice to the District Magistrate to produce NRC Records within thirty days from date of receipt of the notice and a copy of the said notice shall also be sent to the pleader appearing for the Government and to the Appellant.
- (5) The District Magistrate shall provide the NRC records in original including the Application Form and documents submitted by the Appellant and orders passed by the NRC authorities to the pleader appearing for the Government against the claims or objections filed by the Appellant.
- (6) The District Magistrate may also refer to the Tribunal for its opinion the question as to whether the Appellant is a foreigner or not within the meaning of the Foreigners Act, 1946 (31of 1946), in terms of sub-para (1) of paragraph 2. In case of such reference to the Tribunal, it shall be deemed as a reference to the Tribunal in terms of sub-para (1) of paragraph 2, the Tribunal shall examine the said reference along with the Appeal.
- (7) Persons against whom a reference has already been made by the competent authority to any Foreigners Tribunal shall not be eligible to file the appeal before the Tribunal.
- (8) If any Foreigners Tribunal has already given opinion about a person earlier as a foreigner, such person shall not be eligible to file an appeal to any Tribunal.
- (9) On behalf of the District Magistrate, the pleader shall produce the NRC records before the Tribunal and also the reference mentioned in sub-para (6).
- (10) Upon production of the records, if the Tribunal finds merit in the Appeal, it shall issue notice to the Appellant and the District Magistrate for hearing specifying the date of hearing and such date shall be within thirty days from the date of production of the records.
- (11) The District Magistrate may depute an officer as authorised representative to act on his behalf in any proceeding before the Tribunal.
- (12) During the hearing, the Tribunal shall give the Appellant, the pleader appearing for the Government and theauthorised representative of the District Magistrate, if any, a reasonable opportunity to present their case including the filing of any representation or producing documents or evidence in support of their case.
- (13) While disposing the appeal or reference mentioned in sub-para (6), the Tribunal shall be guided by sub-paras (9), (11) and (12) of paragraph 3 of this Order.
- (14) After hearing the Appellant, the pleaderappearing for the Government and the authorised representative of the District Magistrate, if any, the Tribunal shall dispose of the appeal and the reference from the District Magistrate mentioned in sub-para (6) by recording itsopinion.
- (15) The final order of the Tribunal shall contain its opinion on the matter whether the Appellant is eligible for inclusion in the NRC or not. It shall also contain the opinion of the Tribunal on the reference of the District Magistrate mentioned in sub-para (6). The final order of the Tribunal shall be a concise statement of facts and conclusion based on which the Tribunal has arrived at such an opinion.
- (16) The final order of the Tribunal containing its opinion shall be given within a period of one hundred and twenty days from the date of production of the records.
- (17) Subject to the provision of this Order, the Tribunal shall have the power to regulate its own procedure for disposal of the cases expeditiously in a time bound manner.
- 3B. Procedure for disposal of cases in case of persons referred in sub-para (1B) of paragraph 2 not preferring an appeal.—In case a person referred to in paragraph 8 of the Schedule to the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity

Cards) Rules, 2003 does not prefer an appeal within the period of sixty days before the designated Tribunal constituted under this Order, the authority mentioned in sub-para (1) of paragraph 2 of this Order may refer to the Tribunal for its opinion the question whether the said personis a foreigner or notwithin the meaning of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946) in terms of sub-para (1) of paragraph 2 of this Order. On receipt of such a reference, the Tribunal shall examine the same as per the procedure laid down in paragraph 3A of this Order.".

[F. No. 25022/59/2018-F-1]

ANIL MALIK, Jt. Secy. (Foreigners)

Note:—The principal Order was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1401, dated the 23<sup>rd</sup> September, 1964 and subsequently amended vide notifications numbers G.S.R. 1535 dated the 30<sup>th</sup> September, 1965; G.S.R. 203(E) dated the 15<sup>th</sup> January, 1986; G.S.R. 317(E) dated the 24<sup>th</sup> April, 2012; and G.S.R. 770(E) dated the 10<sup>th</sup> December, 2013.